आउटकम बजट वर्ष 2018–19

विभाग का नाम–कृषि

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी०–2.3, 2.4, 8.2, 12.2

(धनराशि लाख रु0)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्‌देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
केन्द्रपोषित योजनायें									
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	कृषि सैक्टर के समग्र विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा विकास मद की चालू योजनाओं के लिये बजट की कमी को पूरा करना।	6355.00	-	2.3j, 2.3k, 2.3i & 8.2- नियमित आधारभूत सुविधा परिसम्पत्ति एवं उत्पादन विकास, कौशल विकास, कृषि उद्यम विकास।	एस.एल.पी.एस.सी. से चयनित एवं एस.एल. एस.सी. से स्वीकृत 19 विभागों की पूर्व से चयनित 40 परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा आर.के.वी.वाई. रफ्तार की गाईडलाईन के अनुसार उपरोक्त समितियों के माध्यम से 2018–19 के लिये नई परियोजनाओं का चयन करना एवं स्वीकृति करना। कृषि विभाग द्वारा परिकल्पित आउटपुट निम्न प्रकार हैः– 1. कृषि तथा अन्य	19 विभागों की 189 परियोजनाओं पर कार्य हुआ, जिनमें से 149 परियोजनाएं पूर्ण तथा 40 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान। 1. कृषि तथा अन्य	विभिन्न विभागों के 25 परियोजनाओं के लिये कार्य पूर्ण किये जायेंगे तथा नई चयनित परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ होगा। इससे आधारभूत सुविधा विकास एवं उत्पादन विकास में गति मिलेगी तथा कौशल विकास होगा। 1. योजना के सहयोग से	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
						सहायक क्रियाकलापः– बहुउददे्शीय टैंक–110, मत्स्य पालन टैंक–35, मुर्गी पालन ईकाइयां–90, पॉली हाउस–25, चैकडैम निर्माण तथा ड्राईलैण्ड हार्टीकल्वर आदि कार्य किए जायेगें।	**सहायक क्रियाकलाप :–** बहुउददे्शीय टैंक–90, मत्स्य पालन टैंक–75, मुर्गी पालन ईकाइयां–40, पॉली हाउस–20, चैकडैम तथा ड्राईलैण्ड हार्टीकल्चर आदि कार्य किए गए।	फसल सघनता तथा उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके वर्तमान स्तर से बढ़कर लगभग 180 से 190 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमानतः 290 है० में अतिरिक्त सिंचन क्षमता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
	––तदैव ––	––तदैव ––				2. जैविक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में वर्मी कंपोस्ट –2000 सं. नाडेप पिट्स–800 सं., जैव उर्वरक–950कि.ग्रा., ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण–85, जैविक प्रमा0–35000 है० आदि।	**2. जैविक खेती एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन** में वर्मी कंपोस्ट–2432, नाडेप पिट्स–960, बंबू नाडेप–172, ग्राम स्तरीय प्रशि0–140, जैविक प्रमा0–7861 है० आदि।	2. **जैविक कृषि में कम्पोस्ट** खादों की मात्रा का प्रति है0 वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य सुधार के साथ–साथ उत्पादन में लगभग 5 से 10 प्रतिशत तक की सम्भावित वृद्धि। जैविक उत्पादों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
						3. कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु यंत्रों का वितरण किया जायेगा। रोटावेटर– 55, पावर टिलर/वीडर–250, मंडुवा/मल्टीपरपज थ्रेसर–40, रीपर बाईंडर–30, ब्रुश कटर–40,	**3. कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु यंत्रों का वितरण** किया गया– रोटावेटर– 60, पावर टिलर/वीडर– 90, विनोईंग फेन– 50 संख्या मंडुवा/मल्टीपरपज थ्रेसर–76, रीपर बाईंडर 18, ब्रुश कटर–32,	**3. मशीनों के उपयोग से खेती में मानव श्रम** तथा खेती में प्रयोग होने वाले पशुओं की समस्या दूर होगी। समय की बचत होगी, जिससे कृषक अतिरिक्त फसल ले सकेगा। उत्पादन लागत में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आयेगी, परिणामस्वरूप कृषकों	

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	––तदैव ––	––तदैव ––				चैफ कटर–150 , टैक्टर चलित यंत्र–120, फार्म मशीनरी बैंक–87, कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना–10, छोटे कृषि यंत्र–25000, पशुचलित यंत्र–250 आदि कृषि यंत्रों का वितरण। 4. पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत बीजों को उत्पादन–950 हैक्टयेर 5. फसल उत्पादन कार्यक्रम–3500 हैक्टेयर 6. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड़ कार्यक्रम–25000 मीटर 7. कृषक महोत्सव 670 न्यायपंचायतों में महोत्सव का अयोजन किया जायेगा।	चैफ कटर–120 टैक्टर चलित यंत्र–160, नैपसैक स्प्रेयर–18, छोटे कृषि यंत्र–24800 पशुचलित यंत्र–135 आदि। –––– 1500 हैक्टैयर 62000 मीटर क्रमिक रबी एवं खरीफ में 670 न्यायपंचायतों में आयोजित किया गया	की आय में वृद्धि होगी। 12500 कु० परम्परागत बीजों का उत्पादन होगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परम्परागत फसलों के बीज उपलब्ध होगें। उन्नत प्रजातियों के उपयोग से संबंधित क्षेत्र में 10 प्रतिशत उत्पादन बढ़ेगा एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र में फसलों की सुरक्षा होगी, जिससे कृषकों को कृषि से लाभ प्राप्त होगा। योजनोओं एवं तकनीकों को प्रचार–प्रसार	
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहॅू, मोटे आनाज एवं	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्वि। बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि। चावल, गेहॅू, मोटे अनाज	2000.00	-	2.3j, 2.3k, & 2.3i उत्पादन में	एन०एफ०एस०एम०– –चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दलहन के अन्तर्गत	एन०एफ०एस०एम०– चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दलहन के अन्तर्गत	उन्नत बीजों की प्रतिस्थापना दर में वृद्धि, मृदा में सूक्ष्म पोषक	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	दलहन) (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)	एवं दलहन की कुल उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, रोजगार सृजन एवं आर्थिकी के स्तर में वृद्वि सुनिश्चित कराते हुये किसानों में विश्वास पैदा करना।			वृद्वि	निम्न कार्य किये जायेंगेः– प्रदर्शन–11600 है०, बीज वितरण–30400 कुं०, पौध एवं मृदा प्रबंधन कार्य –52000 है० , कृषि यंत्र वितरण–1400 जल संवहन पाइप वितरण– 25000 मी० जल संभरण टैंक–50 प्रशिक्षण–110 कस्टम हायरिंग सेन्टर आदि उपलब्ध कराये जायेगें।	निम्न कार्य किये गये– प्रदर्शन–8474.71 है०, उन्नत बीज वितरण– 13840.57 कुं०, पौध एवं मृदा प्रबंधन कार्य–47337 है० कृषि यंत्र–1593 जल संवहन पाइप–97668 जल पम्प–194, प्रशिक्षण–114 आदि कार्य किये गये।	तत्वों की कमी को पूरा करना तथा उत्पादन में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्भावित, फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
3.	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)								
3.1	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE)								
I	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स (ATMA)	किसानों को सभी उन्नत कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों की तकनीकी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।	810.00	-	**2.3, 8.2** नवीनतम तकनीकियों का प्रचार–प्रसार, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण	कृषि तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेगें। कृषक प्रशिक्षण–18060 मा० दिवस, एक्पोजर विजिट–17510 मा० दि०, फसल प्रदर्शन–2250 सं., समूह क्षमता विकास–380 सं., किसान मेला–13 स़ं., किसान गोष्ठी/ फिल्ड डे–190 सं., फार्म स्कूल–285, लाभान्वित कृषक–20,000 आदि।	कृषि तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किये गये। कृषक प्रशिक्षण–11902 मा० दिवस, एक्पोजर विजिट–9756 मा० दि०, फसल प्रदर्शन–2181 सं., समूह क्षमता विकास–152 सं., किसान मेला–16 सं., किसान गोष्ठी/ फिल्ड डे–152, फार्म स्कूल– 239, लाभान्वित कृषक–18,000 आदि।	उन्नत एवं नवीन तकनीकों के प्रचार–प्रसार से तथा अध्ययन भ्रमण से कृषकों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, जिस कारण वह क्षेत्र विशेष के अनुसार अधिक लाभकारी कृषि कार्यक्रम अपनायेगें। प्रशिक्षित कृषक संख्या में वृद्धि होगी। कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
II	NeGPA	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार।	100.00	-	**3.2-** ऑनलाइन तकनीकियों का प्रचार–प्रसार।	95 विकासखण्डों तथा 670 न्याय पंचायतों को कमप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से भारत सरकार के ई–पोर्टल से जोड़ना प्रस्तावित।	35 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालयों एवं 13 जनपदीय कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया।	ऑनलाईन तकनीकियों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान होगा।	एक वर्ष
3.2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM)	आधुनिक उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना।	4000.00	-	**3.2-** कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।	उन्नत कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन एवं खेती के लिए सुगमता से कृषि यंत्रों की उपलब्धता हेतु निम्नानुसार यंत्रों का वितरण किया जायेगा। फार्म मशीनरी बैंक–400, कस्टम हायरिंग से.–60 ट्रैक्टर वितरण–120 ट्रैक्टर चालित यंत्र–640, पावर टिलर/वीडर–175 आदि	फार्म मशीनरी बैंक– 33 कस्टम हायरिंग सेन्टर–10 ट्रैक्टर वितरण–29, पॉवर टिलर/थ्रैसर–15 ट्रैक्टर चालित यंत्र–100 आदि	प्रत्येक न्याय पंचायत पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का प्रयास एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित होने से से कृषकों को कम मूल्य/ किराये पर आवश्यकता के अनुरूप कृषि यंत्र उपलब्ध होगें। समय की बचत के साथ उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन लागत में लगभग 15 से 20 प्रतिशत में कमी आयेगी।	एक वर्ष
3.3	सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिग मैटेरियल	कृषक स्तर पर ही गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	350.00	-	**2.3–** बीज प्रतिस्थापना दर में एवं उत्पादकता में वृद्धि।	बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु निम्नानुसार गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण किया जायेगा खरीफ – 3050.00 कुं0 रबी – 15500.00 कुं0	गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण कुल–7706.00 कुं0	कृषकों को गुणवत्ता बीज उपलब्ध होगें तथा लगभग 4 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापना दर में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन बढ़ेगा।	एक वर्ष
4	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)								
4.1	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (RAD) (90:10	समुचित मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबन्धन के सिद्धान्तों को अपनाकर स्थान विशेषिक	1000.00	-	**2.3-** वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल	3000 है० क्षेत्रफल में एकीकृत कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना एवं	एकीकृत फसल प्रणाली–2449 है0, ग्रीन/पॉली	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्‌देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
	केन्द्रांश एवं राज्यांश)	एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।			संरक्षण एवं कृषि विकास।	मूल्य संवर्द्धन के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम किये जायेंगेः– ग्रीन/पॉली हाउस– 6900 वर्ग मी0, मौन पालन–930 सं., साइलेज इकाई–20 सं., पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज –850 वर्ग मी0, टैंक–75, जल प्रयोग एवं वितरण– 99 है. गली नियन्त्रण संरचनायें–690 वर्मी कम्पोस्ट– 669, प्रशिक्षण एवं भ्रमण–124	हाउस–9500वर्ग मी0, मौन पालन–800, साइलेज इकाई–10, पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज–656 वर्ग मी0, टैंक– 23, गली नियन्त्रण संरचनायें–731, वर्मी कम्पोस्ट–617, प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 92	कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	
4.2	मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	मृदा परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।	110.00	-	2.4g & 2.4h- मृदा परीक्षण	04 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।	–	मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता के परीक्षण से संस्तुति के आधार पर भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जायेगा। प्रयोगशालाओं में परीक्षण से संबंधित अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।	एक वर्ष
4.3	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	राज्य के सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के विषय में जागरूकता लाना।	250.00	-	2.4i & 2.4j- कृषकों को उनकी मृदा की जानकारी देना। मृदा	प्रत्येक 02 वर्ष के चक्र में राज्य के समस्त 9.12 लाख कृषि जोतों के सापेक्ष कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड	प्रथम चक्र में 1.33 लाख नमूनों का एकत्रीकरण एवं परीक्षण करते हुये 7.65 लाख वितरित किये गये।	मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा में उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग की संस्तुति कृषकों को मृदा स्वास्थ्य	दो वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
					स्वास्थ्य कार्ड उपयोग करने वाले कृषकों की संख्या में वृद्धि।	उपलब्ध कराये जाने हैं।		कार्ड पर अंकित कर उपलब्ध करायी जायेगी। कृषकों द्वारा संस्तुति के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, इससे धन की बचत के साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिणास्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।	
4.4	परम्परागत कृषि विकास योजना	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	8300.00	-	2.4c, 2.4d, 2.4e & 12.2a जैविक आधार पर परम्परागत फसलों की खेती करने वाले कृषकों की संख्या में वृद्धि तथा जैविक खादों के प्रयोग में प्रति हैक्टेयर वृद्धि।	10000 अतिरिक्त कलस्टर भारत सरकार से स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें निम्न कार्य किये जायेगें– पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, मृदा नमूना एकीकरण, जैविक बीज/रोपण सामाग्री वितरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्ट प्लान्टिंग मैटेरियल वितरण आदि कार्य।	मृदा नमूनों का एकत्रीकरण–10054, जैविक में परिवर्तन–21540 एकड़ जैविक बीज रोपण–21450 एकड़, बायोलॉजिकल हार्वेस्ट प्लान्ट–20490, तरल बायोपेस्टीसाइड छिड़काव –21240 एकड़, प्राकृतिक कीट नियन्त्रण –24335 एकड़ जैविक मेले–346	2 लाख है0 में जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित होगा।	तीन वर्ष
5	किसानों हेतु फसल बीमा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)	प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाली क्षति की दशा में किसानों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था।	400.00	-	2.3c & 2.3d- अधिक से अधिक कृषकों को फसल बीमा से आच्छादित	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ एवं मसूर की फसल आच्छादित है। अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषकों को योजना से जोड़ा	वर्ष 2016–17 में 208175 कृषक बीमित हुये	2 लाख 50 हजार कृषकों को योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
					करना।	जायेगा।			
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश) पर ड्रॉप मोर क्रॉप**	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना।	2000.00	-	2.3- अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना।	**"पर ड्रॉप मोर क्राप"** घटक के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगेः– जल संग्रहण संरचनायें–680 सिंचाई नालियां–100 एच0डी0पी0ई0 पाईप–100000 मी. जल पम्प–85 सं. ट्यूबवैल–90 सं. प्रशिक्षण एवं भ्रमण–30 आदि कार्य किये जायेंगे।	जल संग्रहण संरचनायें– 673 सं0, जल संवहन पाइप–38530 मी0, पूरक सिंचाई व्यवस्था– 231, प्रशिक्षण–27 आदि कार्य किये गये।	सीमित जल संसाधनों से अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे 2603 है0 सिंचन क्षेत्रफल बढ़ेगा, उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।	एक वर्ष
7	राष्ट्रीय ऑयल सीड एवं ऑयल पाम मिशन **(90:10 केन्द्रांश एवं राज्यांश)**	राज्य में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।	60.00	-	2.3- तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में वृद्धि करना।	प्रजनक बीज क्रय–11 कुं0, आधारीय एवं प्रमाणित बीज उत्पादन–650 कुं0, प्रमाणित बीज वितरण–1000 कुं0, फसल प्रदर्शन–350 है0, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध रक्षा रसायन आदि–1320 है0, कृषि यन्त्र–240 सं0, पाइप–14000 मी0, फैरोमोन ट्रैप–200सं0	प्रजनक बीज क्रय–10.25 कुं0, आधारीय एवं प्रमाणित बीज उत्पादन–38.42 कुं0, प्रमाणित बीज वितरण–516.4 कुं0, फसल प्रदर्शन– 432 है0, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पौध रक्षा रसायन आदि–546 है0, कृषि यन्त्र–78 सं0, पाइप–13158 मी0, लाइट ट्रैप–113 सं0	तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल, के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा राज्य तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।	एक वर्ष
8	कृषि सॉख्यिकी सुदृढ़ीकरण (100 प्रतिशत केन्द्रांश)								
8.1	फसल सांख्यिकी सुधार योजना Improvement In Crop Statistics (ICS)	फसल सांख्यिकी संग्रह प्रणाली की कमियों का पता लगाना और प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाना।	33.23	-	2.4a, 2.4b & 8.2- नियोजित राज्य स्तर पर पड़ताल	योजना में निम्न कार्य किये जायेंगे– राज्य स्तर पर पड़ताल जांच–110 ग्राम खसरा रजिस्टर टोटल	विश्लेषित राज्य स्तर पर (मौसम रबी) पड़ताल जांच– 60 ग्राम, खसरा रजिस्टर टोटल की जांच– 44 ग्राम	कृषि सांख्यिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं औसत उपज के आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली में कमियों का पता	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
					जांच–110 ग्राम खसरा रजिस्टर टोटल की जांच–110 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान–50 प्रयोग फसल मण्डुआ – 40 प्रयोग, फसल गेहूॅ – 60 प्रयोग	की जांच–110 ग्राम क्रॉप कटिंग फसल धान–50 प्रयोग फसल मण्डुआ–40 प्रयोग, फसल गेहूॅ –60 प्रयोग		लगाकर तथा उनके सुधार हेतु उपायों को प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार को सुझाना।	
8.2	उत्पादन का अनुमान लगाने की योजना (TRS) Timly Reporting Scheme	बुवाई के उपरान्त खरीफ, रबी एवं जायद की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन का अनुमान लगाना।	27.60		2.4a, 2.4b & 8.2 नियोजित (TRS) खरीफ–1682 रबी– 1682 जायद–476	बुवाई के तुरन्त बाद मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार करना तथा फसल कटने के पूर्व उत्पादन के अग्रिम अनुमान को तैयार करना।	विश्लेषित (TRS) खरीफ–1669 रबी– 1674	क्षेत्रफल एवं उत्पादन का अनुमान तैयार कर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को भेजा जायेगा।	एक वर्ष
	केन्द्र–पोषित योजनाओं का योग –		**25795.83**	-					
	राज्यपोषित योजनायें–आयोजनागत								
1	कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान	कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान, क्रॉप कटिंग एक्सपेरीमेंट्स पर होने वाले व्यय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करना।	12009.60	-	2.3- कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रमों एवं नवीन पद्धतियों का प्रचार–प्रसार	1468 कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था	वार्षिक कार्यक्रम	कृषि के क्षेत्र में सतत विकास एवं रियलिस्टिक उत्पादन/उत्पादकता की जानकारी	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
2	स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम	स्थानीय फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।	300.03	-	2.3a, 2.3b- उत्पादन में वृद्धि	स्थानीय फसलों जैसे–मण्डुवा, सांवां एवं रामदाना आदि की खेती को बढ़ावा देना।	1 लाख कुं0 मण्डुवा एवं रामदाना के उत्पादन पर बोनस दिया गया।	परम्परागत फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। लगभग 60 हजार कृषक लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष
3	प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र	राजकीय प्रक्षेत्रों पर उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन।	42.01	-	2.3a, 2.3b- उन्नत बीजों का उत्पादन।	1500 कुंतल बीजों का उत्पादन	राजकीय प्रक्षेत्रों पर खरीफ में 341.20 कुं0 बीज उत्पादित हुआ है तथा रबी में 700.00 कुं0 सम्भावित बीज उत्पादन।	पर्वतीय क्षेत्रों हेतु आधारीय/प्रमाणित बीजों की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।	एक वर्ष
4	जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण	राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना।	150.00	-	2.4c, 2.4d & 12.2a- जैविक कृषि को बढ़ाना।	50 हजार हैक्टेयर में जैविक प्रमाणीकरण, प्रदेश को जैव प्रदेश बनाने हेतु कार्य।	जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया गया	जैविक उत्पाद प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय बाजारों में विपणन से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय में वृद्धि।	एक वर्ष
5	सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराना।	6.50	-	8.2- नवीनतम सूचनाओं का अदान–प्रदान करना।	82 सूचना सलाह केन्द्रों का संचालन व्यय	82 सूचना सलाह केन्द्र निर्मित है।	सूचना केन्द्रों के माध्यम से कृषि तकनीकों का प्रचार–प्रसार होगा।	एक वर्ष
6	कृषि निवेश भण्डार प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	कृषि विभाग में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।	531.03	-	2.3- कृषकों को कृषि निवेश उपलब्ध कराना।	670 न्यायपंचायत स्तर पर कृषि निवेश केन्द्रों का संचालन एवं सहायकों का वेतन	670 न्याय पंचायतों का संचालन	ग्राम स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को समय से निवेश उपलब्ध कराये जायेंगे।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
7	विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय	विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिये रसायनों, ग्लासवेयर्स आदि की व्यवस्था।	33.20	-	2.4- मृदा परीक्षण एवं गुण नियंत्रण हेतु प्रयोगशालाये।	1.06 लाख मृदा नमूने, 700 उर्वरक एवं 400 कीटनाशी नमूनों का विश्लेषण	13 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, 2 कीटनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं, 2 उर्वरक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं तथा 2 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं के लिये रसायन उपकरण आदि की व्यवस्था।	मृदा परीक्षण से पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी होगी, जिससे सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा। उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों के नमूनों का परीक्षण किया जायेगा, जिससे कृषकों को गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध होगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
8	जल पंप स्प्रिंकलर सेट पाली हाउस विविधीकरण	किसानों को उन्नत कृषि यंत्र अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुये कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित, समतुल्य अनुदान	200.01	-	2.3 & 8.2- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।	केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर देय राज सहायता के सापेक्ष समतुल्य अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी कृषक– 1200	केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित 1800 कृषि यंत्रों पर देय राज सहायता के सापेक्ष समतुल्य अनुदान उपलब्ध कराया गया। लाभार्थी कृषक– 690	श्रम एवं लागत में कमी। कृषि उत्पादन में 2 प्रतिशत की वृद्धि	एक वर्ष
9	विभागीय भवनों का निर्माण एवं रखरखाव	विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव।	-	14.00	राजकीय संपत्ति का रखरखाव।	10 बीज भण्डारों, प्रयोगशालाओं एवं विभागीय भवनों का रख–रखाव एवं नये भवनों का निर्माण किया जायेगा।	15 विभागीय भवनों का रख–रखाव किया गया।	परिसंपत्तियां सुरक्षित रहेंगी तथा इनके मूल्य में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
10	4401–खाद्यान्न / दलहन / तिलहन बीजों का क्रय	गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	-	1500.00	2.3a, 2.3b- कृषकों हेतु उन्नत बीजों का क्रय।	वर्ष 2018–19 में 46220 कु0 प्रमाणित बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य है।	कुल 35693.30 कु0 प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया।	गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसकी उत्पादन में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
11	4401–कीटनाशी औषधियों का क्रय	कीटों से फसलों को होने वाले रोगों से बचाव।	-	1000.00	2.3 & 2.4d- कृषकों हेतु	240 मै0 टन कीट / रोग नाशक तथा	234 मै0 टन कीट / रोग नाशक तथा	फसलें कीट / रोगों की क्षति से बचेंगी। जिससे	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
					गुणवत्ता युक्त रसायनों/ सूक्ष्म तत्वों का क्रय।	खरपतवारनाशी औषधियों एवं 5000 मै0 टन जैव/सूक्ष्म तत्व क्रय किये जायेंगे।	खरपतवारनाशी औषधियों एवं 4000 मै0 टन जैव/सूक्ष्म तत्व क्रय किया गया।	उत्पादन में वृद्धि होगी।	
12	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	200.00	-	2.3- अनुसूचित जाति कृषकों का विकास।	बीज मिनिकिट वितरण–1500 सं0, पौध सुरक्षा कार्यक्रम–400 है0, कृषि यन्त्र वितरण–2780 सं0, कृषक प्रशि0/महिला प्रशि0–45 सं0, मृदा एवं जल संरक्षण–650 है0, छतवर्षा जल संवहन पाइप–4180 मी0, सिंचाई टैंक(पॉलीथीन) वितरण (500ली0)–150 सं0, सामुदायिक टैंक–13, पॉलीहाउस–25, मुर्गीपालन– 50, लोहारगिरी–20, बढ़ईगिरी– 20, कृषक प्रशि./महिला प्रशि.– 30	उन्नत प्रजाति के बीज/ मिनिकिट वित0–2006 सं0, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य–945 है0, सिंचाई चैक डैम–85, बीज शोधन/पौध सुरक्षा कार्यक्रम– 2142.7 है0, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण– 317.5, कृषि यन्त्र वितरण– 3137 सं0, पर्वतीय/छोटे कृषि यन्त्र वितरण– 2539 सं0, एच0डी0पी0ई0 पाइप वितरण–10414 मी0, सिंचाई टैंक/छत वर्षा जल सम्भरण कार्यक्रम– 483 सं0, सिंचाई गूल निर्माण– 974 मी0, पशु टीकाकरण–100, कृषक प्रशिक्षण–62	चयनित ग्रामों में कृषि कार्यक्रमों के संचालन से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
13	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम	चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन करते हुये पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना।	50.00	-	2.3- अनुसूचित जनजाति कृषकों का	चयनित ग्रामों में निम्न कार्य किये जायेगें – बीज मिनिकिट वितरण–880,	चयनित 10 ग्रामों के लगभग 2040 कृषकों को लाभान्वित किया गया।	चयनित ग्रामों में कृषि कार्यक्रमों के संचालन से कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले / बजट		एस०डी०जी० Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
					विकास।	पौध सुरक्षा कार्यक्रम–400 है0, कृषि यन्त्र वितरण– 50, पर्वतीय कृषि यन्त्र वितरण–1500, मृदा एवं जल संरक्षण–250 है0, गेबियन संरचना–200, छतवर्षा जल सम्भरण–15, जल संवहन पाइप–1050 मी0, मुर्गीपालन– 50, कृषक प्रशिक्षण / महिला प्रशिक्षण–12	बीज मिनिकिट वितरण–350, सिंचाई चैक डैम 427 है., पौध रक्षा रसा.–220 है., कृषि यन्त्र वितरण– 280, सिंचाई टैंक– 140, प्रशिक्षण –14	की आय में वृद्धि होगी।	
14	राज्य किसान आयोग	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई योजना पर विचार करना	10.00	-	कृषि क्षेत्र के लिए सुझाव देना।	राज्य में कृषि के विकास एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु नवीनतम योजनाओं पर विचार करना।	एक वर्ष	कृषि क्षेत्र में सुधार होगा।	एक वर्ष
15	न्यायपंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना	**नई योजना–** न्याय पंचायतों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करना।	400.00		2.3 & 8.2-कृषि में यंत्रीकरण का बढ़ावा।	50 न्याय पंचायतों पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएगें।	–	कृषि में श्रम एवं समय की बचत के साथ उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि	एक वर्ष
16	एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना	**नई योजना–** स्वयं सहकारिता के आधार पर क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि कार्यक्रम	700.00		2.3 & 8.2-कृषि क्षेत्र का सर्वागीण विकास।	15 ग्रामों में एकीकृत आदर्श ग्राम योजना संचालित की जाएगी।	एक वर्ष	कृषि एवं कृषि से जुडत्रे क्रिया कलापों में वृद्धि होगी, जिससे कृषकों की आय बढ़ेगी।	एक वर्ष
17	जैविक मण्डुवा उत्पादन कार्यक्रम	चयनित क्षेत्रों में जैविक मण्डुवा के उत्पादों को बढ़ाना।	50.01		2.3	प्रमाणीकरण–10,000 है0 कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण–2500 सं0, मण्डुवा थ्रेसर	प्रमाणीकरण–9600 है0 कम्पोस्ट इकाईयों का निर्माण–2129 सं0, मण्डुवा थ्रेसर वितरण–10	चयनित जनपदों में मण्डुवा उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आऊट–ले/ बजट		एस०डी०जी० **Goals/ Indicators**	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
						वितरण–15 प्रशिक्षण–40 आदि	प्रशिक्षण–35 आदि		
18	किसानों की आय दोगुना करना	कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कार्य	100.00		2.3, 2.4, 8.2, 12.2	प्रदेश के सभी कृषकों की आय दोगुना करने हेतु केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के गैप फिलिंग हेतु धनराशि उपलब्ध कराना।	–	कृषकों की आय में वृद्धि होगी।	एक वर्ष
19	खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम	–	0.01			योजना संचालित नहीं है।			
20	धान बीज प्रतिस्थापना कार्यक्रम	–	0.01			योजना संचालित नहीं है।			
राज्य पोषित योजनाओं का योग			14782.41	2514.00					
महायोग			**40578.24**	**2514.00**					

कुल बजट प्राविधान (वर्ष 2018–19):– रू0 43092.24 लाख